लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024
सं0-5/2024/321/तीस-4-2024/160/96

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 01 मार्च, 2024

विषयः- लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 में यातायात प्रबन्ध हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहनों के ईधन खपत की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 में यातायात प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्यों हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों में निम्नांकित तालिका-1 व तालिका-2 में उल्लिखित मानक के अनुसार पेट्रोल/ डीजल/सीएनजी की खपत की दरें अनुमन्य होगी :-

तालिका-1

क्र0 सं0	गाड़ी का प्रकार		ईधन खपत की दर (कि0मी0/लीटर) अथवा कि0मी0 प्रति कि0ग्रा0
1.	बसें	13 से 22 सीटर (चालक को छोड़कर)	06
		23 से 36 सीटर (चालक को छोड़कर)	05
		37 व अधिक (चालक को छोड़कर)	04
2.	माल वाहन	3000 कि0ग्रा0 सकल यान का भार तक	10
		3000 से अधिक 7500 कि0ग्रा0 सकल यान का भार तक	07
		7500 से अधिक 12000 कि0ग्रा0 सकल यान का भार तक	05
		12000 से अधिक 28000 कि0ग्रा0 सकल यान का भार तक	04
		28000 कि0ग्रा0 से अधिक/ मल्टीएक्सल सकल यान का भार तक	03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3.	ट्रैक्टर		06
4.	हल्के यात्री वाहन (जीप, टैक्सी, कारें, मैक्सीकैब	04 सीटर (चालक को छोड़कर)	15
		05 व 06 सीटर (चालक को छोड़कर)	10
		07 से 12 सीटर (चालक को छोड़कर)	08
5.	विशिष्ट श्रेणी वाहन	इनोवा क्रिस्टा, फार्चूनर, इण्डिवर, XUV700 एवं समकक्ष वाहन	10

तालिका-2

सी0एन0जी0 चलित बसें

क्र0सं0	वाहन का माडल	ईधन खपत की दर(कि0मी0 प्रति कि0ग्रा0)
1.	टाटा एलपी 1109 सीएनजी बस	4
2.	छोटी बस सीएनजी चलित 35 सीटर	8
3.	छोटी बस डीज़ल चलित 35 सीटर	6
4.	बड़ी बस सीएनजी चलित 55 सीटर	4

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

एल० वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2024/321(1)/तीस-4-2024 एवं तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वी0के0 सोनकिया
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।